नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा वकील प्रार्थी ने प्रार्थी व गवाह नाहरमल सैनी का शपथ पत्र पेश हुआ जिन्हे शामिल मिसल किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 31/3/2022 को पेश हो।

31/03/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम ग्वालोदडा स्थित वादग्रस्त आराजी खाता सं0 280,82,80,99,79,98 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामस्वरुप उर्फ पप्पु पुत्र सांवलराम, पप्पु पुत्र सांवला, पप्पु पुत्र सांवल दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामस्वरुप पुत्र सांवलराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम रामस्वरुप उर्फ पप्पु पुत्र सांवलराम, पप्पु पुत्र सांवला, पप्पु पुत्र सांवल गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रतियां पेश की जिनमे प्रार्थी का सही नाम रामस्वरुप पुत्र सांवलराम है। तहसीलदार नीमकाथाना की फर्द मौका रिपोर्ट 14.10.2021 के अनुसार दुरुस्ती किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र व गवाह नाहरमल सैनी का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम रामस्वरुप उर्फ पप्पु पुत्र सांवलराम, पप्पु पुत्र सांवला, पप्पु पुत्र सांवल गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम रामस्वरुप पुत्र सांवलराम है की पुष्टि आधार कार्ड तथा तहसीलदार नीमकाथाना की फर्द मौका रिपोर्ट 14.10.2021 से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner